



पत्रांक ४५ /सी०
सेवा में,

दिनांक १३ जनवरी 2021

प्रभागीय वनाधिकारी
अल्मोड़ा वन प्रभाग,
अल्मोड़ा।

विषय: जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र अल्मोड़ा के अन्तर्गत शीतलाखेत से बोरा स्टेट होते हुए स्थाही देवी मन्दिर तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.125 है 0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन (प्रस्ताव सं 42092 / 2019)

सन्दर्भ: भारत सरकार का पत्र संख्या ०८बी/य०सी०पी०/०६/१०७/२०१५/एफ०सी०/७९ दिनांक 16.04.2019
महोदय,

उपरोक्त विषयक मोटर मार्ग में सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का बिन्दुवार अनुपालन निम्नवत है:-

- शर्त संख्या-1 के अनुपालन में 720 वृक्षों के वृक्षारोपण एवं दस वर्षों तक रखरखाव हेतु धनराशि रु 9,95,320.00 (नौ लाख पिचानबे हजार तीन सौ बीय मात्र) की धनराशि उत्तराँचल कैम्पा के पक्ष में चालान के माध्यम से कॉरपोरेशन बैंक में जमा करा दी गयी है, चालान की प्रति संलग्न है। (संलग्नक-1)
- शर्त संख्या-2 के अनुपालन में एन०पी०वी० की निर्धारित धनराशि रु 0 82125.00(रु बयासी हजार एक सौ पच्चीस) मात्र की धनराशि उत्तराँचल कैम्पा के पक्ष में चालान के माध्यम से कॉरपोरेशन बैंक में जमा करा दी गयी है, चालान की प्रति संलग्न है। (संलग्नक-1)
- शर्त संख्या-3 के अनुपालन में एन०पी०वी० की बढ़ी हुयी धनराशि जमा किये जाने सम्बन्धित बचनबद्धता का प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक-2)
- शर्त संख्या-4 के अनुपालन में 720 वृक्षों के वृक्षारोपण एवं दस वर्षों तक रखरखाव हेतु धनराशि रु 9,95,320.00 (नौ लाख पिचानबे हजार तीन सौ बीय मात्र) एवं एन०पी०वी० की निर्धारित धनराशि रु 0 82125.00(रु बयासी हजार एक सौ पच्चीस) की धनराशि इस प्रकार कुल रु 1040445.00 (रु दस लाख चालीस हजार चार सौ पैंतालीस) मात्र की धनराशि उत्तराँचल कैम्पा के पक्ष में चालान के माध्यम से कॉरपोरेशन बैंक में जमा करा दी गयी है, चालान की प्रति संलग्न है। (संलग्नक-1)
- शर्त संख्या-5 के अनुपालन में 720 वृक्षों के वृक्षारोपण एवं दस वर्षों तक रखरखाव हेतु धनराशि रु 9,95,320.00 (नौ लाख पिचानबे हजार तीन सौ बीय मात्र) एवं एन०पी०वी० की निर्धारित धनराशि रु 0 82125.00(रु बयासी हजार एक सौ पच्चीस) की धनराशि इस प्रकार कुल रु 1040445.00 (रु दस लाख चालीस हजार चार सौ पैंतालीस) मात्र की धनराशि उत्तराँचल कैम्पा के पक्ष में चालान के माध्यम से कॉरपोरेशन बैंक में जमा करा दी गयी है, चालान की प्रति संलग्न है। (संलग्नक-1)
- शर्त संख्या-6 के अनुपालन में प्रस्तावित कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू-वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा, प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक-3)
- शर्त संख्या-7 के अनुपालन में वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक-4)
- शर्त संख्या-8 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
- शर्त संख्या-9 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।

अतः अनुरोध है कि मार्ग में विधिवत स्वीकृति हेतु अपने स्तर से अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्न—उपरोक्तानुसार 4-4 प्रतियों में।

पत्रांक:- ४५ /सी०

प्रतिलिपि:- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण, इन्दिरानगर फौरेस्ट कालोनी देहरादून उत्तराखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

तददिनांक

भवदीय,

१२.१.२०२१

अधिकारी अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वी०, अल्मोड़ा।

०१

अधिकारी अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वी०, अल्मोड़ा।

०१

संकाय - १

AGENCY COPY

Challan for collection of Ad-hoc CAMPA fund

Date : 02-12-2020

User Code	CAM9999
Location	UTTARANCHAL
Post/Job Name	EXECUTIVE ENGINEER
PTT/EP/CG/ publication No.	8142092161
MoEF/ESG File No.	1(139)/2020
Address	Provincial Division P.W.D., Almora Almora
Remitter Contact No.	
Email Id.	sepaldimore@rediffmail.com
Mobile No.	7533077888
Landline No.	6962-2330033
Amount(in Rs)	1940445/-
Beneficiary Branch and Code.	Corp Bank Ledit complex (0371)

Amount in Words: One Lakh Forty Thousand Four Hundred and Forty Five Rupees Only

Doppler Signature
क्रमिकास्ति 2-12-2020

प्राचीय खाता, लो०नि०वि० छान्ति०

भासोडा,

- Branches should use CMS menu (FCS & CAPS) to process the transaction
- Challan should only be accepted against INR/INR
- Enter the Remitter Name in Additional Information 1
- Enter the Remitter Mobile number in Additional Information 2

After making successful payment, User Agencies can

Challan No -
161722020216019614

D/H :- 16/12/2020

Ranbir

stsclgms.nic.in/UserAccount/GeneralChallanCorp.aspx?pdf=ROAD4209220

सदागर विभाग
आलोचना वाच, लो०नि०वि०
भासोडा

मंदिरगढ़ - 2

ा का नाम— जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र अल्मोड़ा के अन्तर्गत शीतलाखेत से बोरा स्टेट होते हुए स्याही देवी मन्दिर तक मोटर मार्ग लम्बाई 3.800 कि०मी०

एन०पी०वी० की बढ़ी दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यदि भविष्य में मा० उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा एन०पी०वी० की वर्तमान दरों में कोई बढ़ोत्तरी की जाती है तो एन०पी०वी० की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान वन विभाग को यथासमय कर दिया जायेगा।

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा

ा का नाम— जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र अल्मोड़ा के अन्तर्गत शीतलाखेत से बोरा स्टेट होते हुए स्थाही देवी मन्दिर तक मोटर मार्ग लम्बाई 3.800 किमी।

जनपद कार्यबल की संस्तुतियों / भू-वैज्ञानिकों के सुझाओं का अनुपालन किये जाने का प्रमाण-पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना हेतु जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू-वैज्ञानिक द्वारा दिये गये सुझावों/शर्तों का निर्माण कार्य के दौरान लो०नि०वि० द्वारा पूरी तरह अनुपालन किया जायेगा।

सहायक अधियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा

अधिशासी अधियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा

Consequently, in view of the above facts, it is requested that the concerned forest department authority may consider the following points while exercising its rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (hereinafter referred to as the FRA) and proposed to be diverted for non-forest purposes and as per MOFD's letter dated 17 Dec, 2013 wherein MOFD issued certain relaxations in case of linear projects. It is requested that 1.17 hectors of forest land proposed to be diverted for linear projects in the state of Uttarakhand in the districts of Almora, Champawat, Pithoragarh, Nainital and Dehradoon falls within jurisdiction of the concerned forest department.

(i) The concerned authority for identification and recognition of rights under the FRA to the forest communities of the entire forest tract proposed to be diverted. A copy of records of all consultation and meetings of the Forest Rights Committee, Gram Sabha, Sub-Divisional Forest Committee, and District Level Committee are enclosed as evidence.

(ii) The diversion of such land for facilities managed by the Government as mentioned under section 3 (2) of the FRA have been completed and the concerned authorities have given their consent to justify the diversion.

(iii) The project does not involve recognized rights of primitive tribal groups and the agricultural communities.

As above

संलग्न - ४

FORM-1
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector: Almora

No.....

Dated. 03.09.2019

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MOEF) Government of India's letter No:-11-9/98-EC(pt) dated 3rd August 2009 where in the MoEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled tribes and Other Traditional forest Dwellers (Recognition of forest Rights, Act 2006 (FRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non forest purposes read with MOEF.s letter dated 5th feb. 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects. It is certified that **0.125 hectares** of forest land proposed to be diverted in favor of the जनपद अल्मोड़ा में शीतलाखेत मोटर मार्ग से बोरा स्टेट होते हुये स्याही देवी तक मोटर मार्ग (लम्बाई 3.800 किमी) **district Almora falls within jurisdiction Syahi devi Bagich Village (s) in Almora Tahsils.**

It is further certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out of the entire **0.125** hectares of forest area proposed for diversion A copy of records of all consultation and meetings of the forest Rights Committee (s) Gram Sabha(s) Sub- Division Level committee (s) and District level committee are enclosed as annexure to annexure.....
 - (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.: - YES
 - (c) The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal groups and Pre-agricultural at communities.: - YES

Encl: As above

प्रिया सत्ताव ललाच अधिकारी


Nitin Singh Bhadauria
District Collector, Almora

प्राचीन रचनापूर्ण
सहायक विभिन्नता
प्राचीन वाङ्, लोनि०वि०
अचम्पोङ्ग

FORM-II
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector: Almora

No.....

Dated..... 03.09.2019

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MOEF), Government of India's letter No:-11-9/98-EC(pt) dated 3rd August 2009 where in the MoEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled tribes and Other Traditional forest Dwellers (Recognition of forest Rights, Act 2006 (FRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non forest purposes, It is certified that **0.125 hectares** of forest land proposed to be diverted in favor of Provincial Division P.W.D. Almora for the जनपद अल्मोड़ा में शीतलाखेत मोटर मार्ग से बोरा स्टेट होते हुये स्याही देवी तक मोटर मार्ग (लम्बाई 3.800 किमी) **district Almora falls within jurisdiction Syahi devi Bagicha Village (s) in Almora Tahsils.**

It is further certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out of the entire **0.125** hectares of forest area proposed for diversion A copy of records of all consultation and meetings of the forest Rights Committee (s) Gram Sabha(s) Sub- Division Level committee (s) and District level committee are enclosed as annexure to annexure
- (b) The proposal for such diversion (with full details of the project and its implications, in vernacular/local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA. : YES
- (c) The each of concerned Gram Sabha (s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out. And that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the gram sabha of **Syahi Devi Bagicha** villages (s) is enclosed as annexure 3.
- (d) The discussion and decisions on such proposals had taken pace only when there was a quorum of minimum 50% of the members of gram Sabha present: YES
- (e) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it: YES
- (f) The rights of primitive tribal groups and pre-agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1) (e) of the FRA: NA

Encl: As above

Jwls
 नवायक कालाल अधिकारी
 अल्मोड़ा

Sei
 प्रदान करने सहायिता
 निर्मित वार्ड, लो०नि०वि०
 उत्तराखण्ड

N. S. Singh
 N. S. Singh
 Nandauria
 District Collector, Almora

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER DISTRICT ALMORA (U.K)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.


A meeting of the district level committee of Almora district, constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship of Mr. Nitin singh Bhadauria, I.A.S., deputy commissioner, Almora on date. २३.०९.२०१९..at time. ११.३० AM. at Almora in which application claiming rights of **Syahi Devi Bagicha** village measuring **0.125 ha**c. for the जनपद अल्मोड़ा में शीतलाखेत मोटर मार्ग से बोरा स्टेट होते हुये स्याही देवी तक मोटर मार्ग (लम्बाई 3.800 किमी) of forest land under FRA, 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of **Almora** sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.


After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place; Almora


 Deputy Commissioner-cum-Chairman
अल्मोड़ा
 District Level Committee

DATE:


स्याही देवी बागिचा कल्याण अधिकारी
अल्मोड़ा


 त्रिवेदी विधायक
 अल्मोड़ा, लो० नि० वि०

प्रपत्र-23.2

परियोजना का नाम - जनपद अल्मोड़ा में शीतलाखेत मोटर मार्ग से बोरा स्टेट होते हुये स्थाही देवी तक
मोटर मार्ग लम्बाई 3.800 कि०मी०

कार्यालय उप जिलाधिकारी, अल्मोड़ा
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत
प्रभाण-पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, अल्मोड़ा

उपखण्ड अल्मोड़ा परिषेत्र के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा में शीतलाखेत मोटर मार्ग से बोरा स्टेट होते हुये स्थाही देवी तक मोटर मार्ग लम्बाई 3.800 कि०मी० परियोजना के निर्माण हेतु शुल्क ०.125 हो सिविल सोयम भूमि, वन पंचायत भूमि शुल्क है० अर्थात कुल ०.125 हो का प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि० अल्मोड़ा प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील अल्मोड़ा) की दिनांक ०२.०७.२०१९ को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक सीमानिरक्षण उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

१-१. सु.सी.सी.परिवरकमा^{प्रभाणीय वनाधिकारी}, उप जिलाधिकारी, अल्मोड़ा अध्यक्ष
२- श्री^{प्रभाणीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग} सहायक समाज कल्याण अधिकारी हवालबाग सदस्य सचिव
३- श्री रमेश पाण्डी^{सदस्य} सहायक समाज कल्याण अधिकारी हवालबाग सदस्य सचिव
४- श्री अ.प्रभाणीरथी ऊर्ला^{सदस्य} बी०डी०सी० क्षेत्रप्रभाग सदस्य सदस्य पंचायत बड़गाल मण्डल अध्यक्ष-हवालबाग (अल्मोड़ा)

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद अल्मोड़ा में शीतलाखेत मोटर मार्ग से बोरा स्टेट होते हुये स्थाही देवी तक मोटर मार्ग लम्बाई 3.800 कि०मी० परियोजना के निर्माण हेतु शुल्क है० अर्थात कुल ०.125 हो सिविल सोयम भूमि, वन पंचायत भूमि शुल्क है० अर्थात कुल ०.125 हो वन भूमि का प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि० अल्मोड़ा प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभाणीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा

अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड अल्मोड़ा परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा में शीतलाखेत मोटर मार्ग से बोरा स्टेट होते हुये स्याही देवी तक मोटर मार्ग लम्बाई 3.800 कि०मी० परियोजना के निर्माण हेतु शून्य है० आरक्षित वन भूमि, ०.१२५ है० सिविल सोयम भूमि, वन पंचायत भूमि शून्य है० अर्थात् कुल ०.१२५ है० प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि० अल्मोड़ा प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी / अक्षयक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील—अल्मोड़ा
जनपद—अल्मोड़ा

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, अल्मोड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी / अक्षयक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील—अल्मोड़ा
जनपद—अल्मोड़ा

निम्नापित
Sri
सद्गुरु विमियन्ता
प्रान्तीय वाड़, लो०नि०वि०
अल्मोड़ा

प्रपत्र-23

परियोजना का नाम - जनपद अल्मोड़ा में शीतलाखेत मोटर मार्ग से बोरा स्टेट होते हुये स्याही देवी तक
मोटर मार्ग लम्बाई 3.800 कि०मी०
वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम - **चम्पा**
तहसील जैती, जिला अल्मोड़ा

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड के जनपद अल्मोड़ा में शीतलाखेत मोटर मार्ग से बोरा स्टेट होते हुये स्याही देवी तक मोटर मार्ग लम्बाई 3.800 कि०मी० परियोजना के निर्माण हेतु शून्य है० आरक्षित वन भूमि, ७.१२५ है० सिविल सोयम भूमि, वन पंचायत भूमि शून्य है०) अर्थात् कुल ७.१२५ है० वन भूमि का प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग अल्मोड़ा / संरथा के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत चम्पा द्वारा दिनांक ०१.०३.२०१९ को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपरिथित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम स्थानीय रैवी व्याचिके ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, अल्मोड़ा प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम पंचायत अधिकारी
ग्राम पंचायत सचिव
विधान सभा द्वारा दिया गया
विधान सभा द्वारा दिया गया

क्र० १२२८
प्रधान

ग्राम पंचायत चम्पा
विधान सभा द्वारा दिया गया

ग्राम प्रधान

ग्राम पंचायत अधिकारी

ग्राम पंचायत अधिकारी
ग्राम पंचायत अधिकारी
ग्राम पंचायत अधिकारी

प्रपत्र-23.1

दिनांक 01.03.2019 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम स्वास्थ्य देवी वर्गीक्षा

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
①	श्रीलाल तांडु गोविला	blue
②	बुबल ज्ञाय	बुबलज्ञाय
③	पुम सिंह	पुम
④	जुखिलनाथ	जुखिलनाथ
⑤	तुरेन्द्र नाथ	तुरेन्द्रनाथ
⑥	H.F.पी.नाथ	HF
⑦	चंदा सिंह	चंदा
⑧	नरेश महा	नरेश
⑨	रमेशालिहर कुमा	रमेश
⑩	विजय गोत्वारा	विजय गोत्वारा
⑪	शुभल उर्मा	शुभल
⑫	S.S. Deval	S.S. Deval
⑬	मिशेल भावा	मिशेल
⑭	गोपीनाथ चौहान	गोपीनाथ
⑮	bundan Singh	bundan
⑯	सोनम जिंद कुमार	सोनम
⑰	कमल सिंह कुमार	कमल
⑱	अमल सिंह उमा	अमल
⑲	राम सिंह बिट्ठा	राम
⑳	शोशानी गिरमाल	शोशानी
㉑	कीरता भुजभाल	कीरता
㉒	दशाल मुहम्मद अस्तु	दशाल
㉓	झूँहा देवी	झूँहा
㉔	केम नाथ गोत्वारी	केम
ज्ञान रजि संसाधन		ज्ञान
प्रधान पंचायत चया विंख्या-हवालवाग (अ.म.प.)		प्रधान

पढ़ाएका विषयका
प्रान्तीय वाच. लो.निवि.
अनुसृत

ग्राम प्रधान